



दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

फाइल संख्या: आरबीसी/044/सं.आ./09/2023/3006-3346

दिनांक: 31/07/2023.

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरंतर विश्वविद्यालय के अधीन सभी महाविद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार बढ़ाने, उसका विकास करना जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। राजभाषा नीति का उद्देश्य है कि सरकारी कामकाज में सामान्यता हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो। यही भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगा।

शिक्षा मंत्रालय(भारत सरकार) के संयुक्त सचिव का पत्र संख्या 13035/1(1)/2021-रा.भा.ए. दिनांकित 12 जुलाई, 2022 दिल्ली विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ था। जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय 'क' क्षेत्र के अंतर्गत आता है और 'क' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों/शैक्षिक संस्थानों के लिए अपना समस्त प्रशासनिक कार्य शत-प्रतिशत हिंदी में सुनिश्चित करना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय द्वारा संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का अनुपालन करना अति आवश्यक है:

1. सभी प्रोसपेक्टस, सूचना बुलेटिन, सूचनापट्ट, रबड़ की मोहरें, पत्रशीर्ष, फाइल कवर, नामपट्ट, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के पहचान पत्र, निमंत्रण-पत्र, पुस्तकालय कार्ड, लिफाफों पर पते इत्यादि द्विभाषी रूप में (ऊपर/पहले हिंदी तथा नीचे/बाद में अंग्रेजी या अन्य भाषा तथा फॉन्ट आकार समान) मुद्रित किए जाएं।
2. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले कागजात, यथा सामान्य आदेश(General Orders), ज्ञापन(Memorandums), संकल्प(Resolutions), अधिसूचनाएं (Notifications), नियम(Rules), करार(Agreements), संविदा(Contracts), निविदा सूचनाएं (Tender Notices), संसदीय प्रश्न (Parliament Questions), प्रशासनिक रिपोर्ट (Administrative reports), अन्य रिपोर्ट(Other reports), प्रेस विज्ञप्तियां (Press Communiques), अनुज्ञप्ति (Licences), अनुज्ञा-पत्रों(Permits), सूचनाओं (Notices), निविदा-प्रारूपों (Forms of tender) इत्यादि आवश्यक रूप से द्विभाषी (हिंदी तथा अंग्रेजी) होने चाहिए।
3. हिंदी पुस्तकों की खरीद पर 50% राशि हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय की जाए।
4. कार्यालयों में उपलब्ध सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड की सहायता से हिंदी में टंकण कार्य किया जाए।
5. सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाए तथा सभी प्रकार के रजिस्ट्रों आदि के शीर्षक तथा महाविद्यालय की वेबसाइट अनिवार्य रूप से द्विभाषी(हिंदी व अंग्रेजी) हो।
6. 'क' एवं 'ख' क्षेत्र से प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं।
7. राजभाषा नियम, 1976(यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011) के नियम-5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएं।
8. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम (वर्ष 2023-24) में निर्धारित लक्ष्य ('क' क्षेत्र के लिए 75% टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाए) के अनुसार टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाएं।
9. कार्यालयों में संबंधित सभी मैनुअल संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

वि.का.स. म.प.।
.....2/11/23



दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

.....2.....

साथ ही राजभाषा कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जानकारी संसदीय राजभाषा समिति की वेबसाइट www.rajbhashasamiti.gov.in के साथ गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर भी उपलब्ध है

अतः सभी संबंधित अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि संघ के राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग हेतु अपने कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ठोस उपाय करें। साथ ही किसी भी प्रकार के राजभाषा नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

विकास गुप्ता
(डॉ. विकास गुप्ता)
कुलसचिव

सेवा में,

सभी संबंधित अधिकारी

प्रति :

1. अधिष्ठाता(महाविद्यालय)
2. निदेशक, दक्षिणी परिसर एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति
3. वित्त अधिकारी, दिल्ली विश्वविद्यालय
4. विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या
5. सभी विभागों/संकाय/केंद्र/अनुभागों/कार्यालयों के प्रमुख
6. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी
7. निदेशक(कंप्यूटर केंद्र) – अनुरोध है कि कृपया इस परिपत्र को राजभाषा प्रकोष्ठ के वेब पेज पर अपलोड करें।